न्यायालय अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2021 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी स्व॰ श्री बने सिंह निवासी मकान नं॰ 812 बख्शी हेमराज की गली, पानों का दरीबा, चौकडी रामचन्द्र जी, जयपुर, राजस्थान जरिये मुख्त्यारखास आशा कंवर नरूका पुत्री स्व॰ श्री बने सिंह पत्नी श्री प्रकाश अरोडा ।

अपीलार्थी

बनाम

1. आशा कंवर पुत्री स्व॰ श्री बनेसिंह पत्नी प्रकाश अरोडा
2. निहाल सिंह पुत्र स्व॰ श्री बने सिंह
   निवासी मकान नं॰ 812 बख्शी हेमराज की गली, पानों का दरीबा, चौकडी रामचन्द्र जी, जयपुर, राजस्थान।
3. अजय सिंह नरूका पुत्र स्व॰ श्री बनेसिंह
   निवासी मकान नं॰ 22, रतन नगर, शेखावत मार्ग, निवारू रोड, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 21.10.2021 उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 35/2019 व उनवानी श्रीमती प्रेम कंवर बनाम आशा कंवर व अन्य।

उपस्थितः–

1. प्रत्यर्थी संख्या 1 उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 04.08.2022**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 35/2019 व उनवानी श्रीमती प्रेम कंवर बनाम आशा कंवर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

बहस सुनी गई।

अपीलार्थी प्रतिनिधि ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, 20, 23, 25 माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधियिम 2007 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 3 से कमरा खाली करवाने बाबत प्रार्थना की थी। जिस पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा सुनवाई के पश्चात आदेश दिनांक 21.10.2021 के द्वारा यह लिखते हुए खारिज कर दियाा कि कमिश्नर रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र व जबाब के अनुसार एवं उपस्थित पक्षकारों को सुने जाने के बाद प्रार्थिया द्वारा इस अधिनियम के अन्तगर्त प्रार्थना पत्र में अंकित मकान के कमरों को खाली करवाना व इकरारनामा वापिस दिलवाये जाने का निवेदन किया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही आता है तथा प्रार्थिया पेंशन प्राप्त कर रही है ऐसे मे प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा धारा 23 के प्रावधानों का पूर्णत उल्लंघन करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है जो कि विधि विरूद्व होने के कारण पोषणीय नहीं है। धारा 23 (2) के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी जायदाद से या उसके हिस्से से भरण पोषण प्राप्त करे एवं यदि अगर किसी को स्थानान्तरित कर दी गई है या स्थानान्तरण स्नेह के वशीभूत हो कर किसी पारिवारिक मेम्बर को कर दिया है, तो वह उससे वापिस प्राप्त करने की अधिकारी है। भरण पोषण का अधिकार मात्र खाने पीने एवं रहने तक ही सीमित नही है बल्कि भरण पोषण का मतलब यह है कि अपीलार्थी को सभी सुख सुविधाए जो वह अपनी चल व अचल सम्पत्ति से प्राप्त करने की अधिकारी है एवं मानसिक संतुष्टि हेतु जो भी आवश्यक है उसके लिए अपीलार्थी अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है, परन्तु इस बात को अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पूर्ण अनदेखा करते हुए अलौच्य आदेश पारित किया है जो कि प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 3 जो कि अपीलार्थी के साथ नहीं रहता है उसने अपीलार्थी को प्राप्त सम्पत्ति के कमरों में ताला लगा रखा है एवं अपील व प्रार्थना पत्र में वर्णित पते पर निवास कर रहा है इस कारण उक्त कमरे अपीलार्थी के काम नहीं आ रहे है जिससे उसको आर्थिक नुकसान हो रहा है एवं वृद्वावस्था होने के कारण अपीलार्थी चलने फिरने मे असमर्थ है इसलिए यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जिन कमरों में ताले लगा रखे है उन्हें अपीलार्थी को दे दिया जाता है तो अपीलार्थी को नीचे लाने में प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके परिवार को आसानी होगी । क्योंकि सारी सेवा प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसका परिवार ही करता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 इसमें अपीलार्थी की कोई मदद नही करते है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा यह लिख देना कि प्रार्थिया पेंशन प्राप्त कर रही है जो लगभग 9000/–रूपये प्रति माह है इसलिए अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है, पूर्णतया विधि विरूद्व एवं अनुचित है। क्योकि प्रार्थिया चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ है एवं इस कारण उसे डॉक्टर के पास लाने, ले जाने एवं उसकी देखभाल करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके बच्चे अपीलार्थी के साथ निवास करते है। जिस पर काफी राशि महिने की खर्च हो जाती है। इस कारण अपीलार्थी प्रत्यथी संख्या 3 से तीसरे तल पर स्थित जो कि उसके कब्जे में है, खाली करा कर नीचे शिफ्ट हो कर ऊपर के कमरे को किराये पर दे कर जो भी राशि प्राप्त होगी उसे अपने उपयोग व उपभोग में ले सकेगी। जिससे अपीलार्थी को अपने भरण पोषण में आसानी होगी एवं नीचे लाने ले जाने में भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके परिवार को आसानी होगी। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी को ना तो भरण पोषण बाबत कोई राशि दी जा रही है और ना ही कब्जे शुदा कमरों का कोई किराया इत्यादि दिया जा रहा है एवं ना ही अपीलार्थी को

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

वहां पर रहने के लिए जगह दी जा रही है जिससे प्रार्थिया एवं उसके देखभाल करने वालों को आसानी हो। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 3 का यह कृत्य माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 23 के सन्दर्भ में पारित निर्णय अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2021 को भारी हर्जे खर्च के साथ खारिज फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को अपील में वर्णित अनुतोष दिलाया जावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जरिये मुख्त्यार अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश की गई है और अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने भी इसका समर्थन किया है।

6. प्रत्यर्थीगण की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रथम, अपीलार्थी के पति स्व॰ श्री बन्ने सिंह पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, इसलिए अपीलार्थिया को पारिवारिक पेन्शन मिल रही है। बीमार होने पर राज्य सरकार द्वारा निः शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। इसलिए अपीलार्थिया द्वारा चाहा गया भरण पोषण राशि दिलाने का अनुतोष स्वीकार नही है। द्वितीय, अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थी संख्या 3 निहाल सिंह के कब्जेशुदा कमरों का कब्जा दिलवाने एवं मूल इकरारनामा दिनांक 21.07.2011 दिलाये जाने का अनुरोध किया है। सम्पत्ति का सशर्त इकरारनामा द्वारा अन्तरण किये जाने पर माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत सम्पत्ति का अन्तरण शून्य किये जाने के प्रावधान है। इसके अतिरिक्त नियम–2010 की धारा 20 (5) के अनुसार " किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की संरक्षा करने का कर्तव्य होगा।" इसलिए अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया जाना कि उसे अपीलार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर सुनवाई का अधिकार नहीं है, उचित नही है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

8. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर सम्पत्ति एवं इकरानारामा बाबत नये सिरे से निर्णय पारित करें।

9. आदेश की प्रति हस्व कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर